तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी
21.1.21	पत्रावली पेश। वकील वादी उप० श्री बहस पर विचार किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के कथन, वांछित अनुतोष एवं प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। वादी का कथन है कि वादी राजेश के द्वारा ग्राम गोयन्दा की भूमि साबिक खसरा नम्बर 345 (कवा 26)2 में से रामचंद पुत्र रतना का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय किया गया था। उक्त विक्रय पत्र का इन्तकाल नम्बर 504 सायर कर वादी का नाम 1991 में दर्ज किया गया। अन्तराल में वादी का नाम रमेश कर दिया गया जिसे पुनः राजेश दर्ज किया जावे। हस्ब रजिस्टर्ड बयनामा दि० 19.5.87 से वादी द्वारा ख० नं० 345 (कवा 26)2 में से 1/2 हिस्सा रामचन्द्र से क्रय किया था। उक्त बयनामे का नामा० नं० 504 दि० 13.9.91 सायर कर रामचंद्र के हिस्से पर वादी राजेश का नाम जमाबन्दी संवत 2045-48 खाता नं० 282 पर अंकित किया गया। सम्वत 2049-52 खाता नं० 303 पर वादी का नाम राजेश के स्थान पर रमेश अंकित कर दिया गया। जमाबंदी पता सरकार 2049-52 खाता नं० 303 पर वादी का नाम राजेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज है, जबकि पाल परवा में उसका नाम रमेश अंकित कर दिया गया। जमाबंदी 2059-60 में भी वादी का नाम रमेश दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटि बाद बन्दोबस्त पूर्ववत् चली आ रही थी। बाद बन्दोबस्त साबिक खसरा नं० 345 रकबा 26/2 के हाल खसरा नम्बर 1439 रकबा 4.22 हैक्टेयर पैमूद किये और बंदोबस्त जमाबन्दी 2005-2025 खाता नं० 309 पर राजेश की बजाय पूर्ववत् रमेश के नाम पर दर्ज कर दी गयी। हाल जमाबंदी सं० 2015-17 खाता नं० 397 पर भी बन्दोबस्त जमाबंदी का ही अंकन है। इस प्रकार यह पाया जाता है, कि जमाबंदी में नवीन अंकन करते समय रिकार्ड में वादी का नाम राजेश के स्थान पर रमेश दर्ज कर दिया है, जो काबिल दुरुस्ती है। अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गोयंरा के ख० नं० 1431 रकबा 5.22 हे० पर दर्ज रमेश के स्थान पर राजेश दर्ज किया जावे। बकाया अंकन यथावत् रहे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। निर्णय आज दि० 21.1.2021 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया। (हस्ताक्षर) (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इस्तकरारी~~

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी I.A.S. —मुकाम— रामगंजमण्डी

व इजलास— देशाल दान

2020/00299

राजेश —बनाम— भोजराज

दावा बाबत— 88-89-188 R.T. Act. 1955

मुकद्दमा नं. 167 —सन्— 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— मुझ देशाल दान (I.A.S.)

बहाजरी श्री घनश्याम धाकड़ एड. —मिनजानिब मुद्दई व — —

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गोयन्दा के ख० नं० 1431, रकबा 0.22 है. पर दर्ज "मेरा" के स्थान पर "राजेश" दर्ज किया जावे। बकाया अंकन यथावत् रहे।

बीज— — —मुबालिग— — —बाबत— —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— — —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— — —को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 31 —माह— 01 —2021.

को जारी की गई।

महर

दस्तखत— [signature]

ओहदा— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई		रुपया	पं.	मुद्दायलाह		रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील पर	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	...	–	–
मीजान....		–	–				

नोट:–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी